

पृष्ठां क्रमांक एफ 73-57 / 20-3 / 2006
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक ५-६-०८

1— सचिव, (संबंधित संस्था / समिति) अशासकीय शिक्षण संस्था सेकेड हार्ट को—एड स्कूल, इन्दौर जिला, इन्दौर की ओर अग्रेषित। अशासकीय शिक्षण संस्था सेकेड हार्ट को—एड स्कूल, इन्दौर जिला इन्दौर को सी.बी.एस.ई., से सम्बद्धता, मान्यता हेतु अनापत्ति प्रमाण—प्रत्र निम्न शर्तों पर प्रादान की जाती है—

- (1) संस्था सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. के अनुरूप मापदण्डों की पूर्ति करती है अथवा नहीं, इसका परीक्षण केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा किया जायेगा।
- (2) संस्था द्वारा अनापत्ति प्रमाण—प्रत्र हेतु राज्य शासन को प्रस्तुत आवेदन पत्र या शपथ पत्र में दी गई जानकारी गलत पाये जाने पर या उसका पालन नहीं करने पर अथवा राज्य शासन द्वारा समय—समय पर दिए गए निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर या प्राप्त शिकायत जांच में सही पाये जाने पर राज्य शासन द्वारा जारी अनापत्ती प्रमाण—पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

- 2— आयुक्त, लोक शिक्षण म.प्र., भोपाल।
3— जिला शिक्षा अधिकारी, जिला इन्दौर, म०प्र०।
4— ऑर्डर बुक।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग